

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 8(3)एमई/ग्रुप-1/2018 पार्ट


जयपुर, दिनांक : 06 MAY 2022

आदेश

डॉ. कविता जैन, वरिष्ठ आचार्य, निश्चेतन, मेडिकल कॉलेज, अजमेर को उनके द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के दृष्टिगत मेडिकल कॉलेज, अजमेर में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में आचार्य के रिक्त पद के विरुद्ध अग्रिम आदेश तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


आज्ञा से,


(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
4. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
5. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव